क्रम सं०-97

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०

डब्लू०/एन०पी०-91/2011-13

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, रविवार, 14 अप्रैल, 2013

चैत्र 24, 1935 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

न्याय अनुभाग-1 (उच्च न्यायालय)

संख्या 1458/ सात-न्याय-1-2013-143/2006
लखनऊ, दिनांक 14 अप्रैल, 2013

अधिसूचना

सा0प0नि0-25

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, मा0 मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये इलाहाबाद मा0 उच्च न्यायालय (सूचना का अधिकार) नियमावली, 2006 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

इलाहाबाद उच्च न्यायालय (सूचना का अधिकार) (संशोधन) नियमावली, 2013

1-(1) यह नियमावली इलाहाबाद, मा0 उच्च न्यायालय (सूचना का अधिकार) (संशोधन) नियमावली, 2013 कही जायेगी। संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

(2) यह सरकारी गजट में इसकी अधिसूचना के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2-(1) नियमावली का तात्पर्य इलाहाबाद, मा0 उच्च न्यायालय (सूचना का अधिकार) नियमावली, 2008 से है। परिभाषायें

3-नियमावली के नियम 4 को निम्नवत् संशोधित किया जायेगा :- नियमावली के नियम 4 में संशोधन

स्तम्भ-1 **विद्यमान नियम**	स्तम्भ-2 **संशोधित नियम**
प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ रु0 250/- नकद या ड्राफ्ट या भुगतान आदेश संलग्न होगा जो यथास्थिति महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद या सम्बन्धित जिला	प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ नकद या ड्राफ्ट या भुगतान आदेश संलग्न होगा जो यथास्थिति महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद या सम्बन्धित जिला

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 संशोधित नियम
न्यायालय के जिला जज के पक्ष में आहरित होगा।	न्यायालय के जिला जज के पक्ष में निम्नलिखित दरों से आहरित होगा :– (एक) रु0 250/– यदि निवेदित सूचना निविदा दस्तावेजों/बोलियों/मूल्य विवरणों (कोटेशंस)/व्यवसाय संविदा से सम्बन्धित हो अथवा निवेदित सूचना डिस्केट्स, फ्लापीज टेप्स, वीडियो कैसेट्स के रुप में हो या किसी अन्य इलेक्ट्रानिक मोड़ में हो या प्रिंट आउट के माध्यम से हो जहां ऐसी सूचना किसी इलेक्ट्रानिक रुप में संचित होती है। (दो) रु0 50/– यदि सूचना उपरोक्त (एक) से भिन्न रुप से प्राप्त की जाय।

आज्ञा से,
एस0के0पाण्डेय,
प्रमुख सचिव।

No.1458/Saat-Nyay-1-2013-143/2006
Lucknow, Dated April 14, 2013

In exercise of powers conferred by section 28 of the Right to Information Act, 2005, the Chief Justice, High Court of Judicature at Allahabad, hereby makes the following amendment in Allahabad High Court (Right to Information) Rules, 2006 to carry out the provisions of the Act.

THE ALLAHABAD HIGH COURT (RIGHT TO INFORMATION) (AMENDMENT) RULES, 2013

Short title and commencement

1-(1) These rules may be called the Allahabad High Court (Right to Information)(Amendment) Rules, 2013

(2) They shall come into force on the date of their notification in the official *Gazette.*

Definitions

2- Rules means the Allahabad High Court (Right to Information) Rules, 2006.

Amendment in rule 4 of the rules

3- Rule 4 of the rules shall be amended as follows:-

COLUMN-1 *Existing Rule*	COLUMN-2 *Amended Rule*
Each application shall be accompanied by cash or draft or pay order of Rs. 250/- drawn in favour of the Registrar General, High Court, Allahabad or the District Judge of the concerned district court as the case might be.	Each application shall be accompanied by cash or draft or pay order drawn in favour of the Registrar General, High Court, Allahabad or the District Judge of the concerned district court as the case might be, at the following rates:- (i) Rs. 250/- if the requested information is related to tenders documents/ bids/ quotations/business contract or requested information is in the form of diskettes, floppies, tapes, video cassettes or in any other electronic mode or through printouts where such information is stored in any electronic form. (ii) Rs. 50/- if information is obtained other than (i) above.

By order,
S.K.PANDEY,
Principal Secretary.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 31 राजपत्र–(हिन्दी)–2013–(65)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 2 सा0 न्याय–2013–(66)–300 प्रतियां–(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।